फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2023/191 बअनवान शांति बनाम स्व. पुराराम के कामु अमृतलाल वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादीनी द्वारा विकय विलेख खातेदारी कृषि भूमि का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय बाली में पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 66 में पृष्ठ संख्या 192 क. संख्या 2013003818 पर तारीख 02.09.2013 को पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कुल खसरों 9 की रजिस्ट्री करवाई गई है जिसमें कुछ खसरे सरकारी भूमि के है वह दूसरी भूमि अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग के खातेदारों की भूमि है। वादीनी द्वारा वादग्रस्त भूमि रघुनाथपुरा की बताकर वादपत्र पेश किया है तथा स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया है। वादीनी ने एक विकय विलेख पुरा पुत्र खुमा जाति मीणा से दिनांक 02.09.2013 को खरीद किया गया है जो ग्राम दुदनी बाहरी क्षेत्र खसरा नंबर 1,2,3,4,6,7,9,10,11 है उक्त खसरों की रजिस्ट्री करवाई गई है। उक्त विकय विलेख में कहीं पर भी रघुनाथपुरा का उल्लेख नहीं है जबकि ग्राम रघुनाथपुरा का विकय विलेख ही नहीं हुआ है तो उक्त कृषि भूमि पर स्थगन किस बात का है। वास्तव में वादीनी ने ग्राम दुदनी बाहरी क्षेत्र में भूमि खरीद की है वह तथ्यों को छिपाते हुये ग्राम रघुनाथपुरा का वाद पत्र पेश किया है, जिस वाद में वाद हेतुक उत्पन्न न होने तथा वादी का मुख्य अनुतोष विकय विलेख दिनांक 02.09.13 में संशोधन का होने तथा उक्त अनुतोष शुद्धि दस्तावेज के जरिये ही संभव होने से वादी का वाद विधि वर्जित होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। वकील प्रतिवादी की दलीलों का खण्डन करते हुये वकील वादी द्वारा दलील दी गई कि स्व. पुरा ने अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी भूमि के 1/4 हिस्से में से 0.24 हैक्टर भूमि की रजिस्ट्री वादीनी के पक्ष में कराते हुये कब्जा सुपुर्द किया था। मौके पर पुरा ने जिस भूमि को अपनी खातेदारी की बताते हुये कब्जा सुपुर्द किया था, आज भी वहां वादीनी का बकायदा कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादीनी द्वारा वाद पेश करने के बाद प्रतिवादीगण के द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र में पेश किये गये जवाब के आधार पर प्रतिवादी संख्या एक व पटवारी हल्का की गलती व भूल की जानकारी होने पर वादीनी ने आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वाद पत्र में संशोधन का पेश कर दिया है। जिस प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में प्रतिवादी द्वारा पेश उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। वादीनी के पक्ष में जो विकय विलेख प्रतिवादी संख्या एक ने तकमील करवाया है उसमें प्रतिवादी संख्या एक ने स्वयं अपनी खातेदारी भूमि का विवरण देते हुये अपने 1/4 हिस्से की भूमि में से 0.24 हैक्टर बेचान का जिक्र किया हैं। रजिस्ट्री में किसी दस्तावेज भूल से अगर सरहद मौजा लिखने में या टंकण भूल हो गई है तो कानून में ऐसी भूल को सुधार करने या संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है। जिस बाबत वादीनी की तरफ से माननीय न्यायालय में इसी पत्रावली में तारीख 19.03.25 को वाद पत्र संशोधन का प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। जिस कारण प्रतिवादी का उपरोक्त प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज के है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एंव राजस्व मंडल द्वारा समय समय पर यह भावना प्रकट की है कि किसी तकनीकी कारणों से किसी पक्षकारों को न्याय से	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

वंचित नही किया जा सकता है एवं वाद की बाहुल्यता को रोकने हेतु वादीनी द्वारा चाहा गया संशोधन स्वीकार किये जाने पर स्वभाविक रूप से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अप्रभावी हो जाता है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि वादी द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 02.09.2013 के आधार पर ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का दुदनी में स्थित भूमि खसरा नंबर 1, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 9 कुल खसरा 09 कुल रकबा 2.27 हैक्टर के सहखातेदार पुरा पुत्र खुमा मेणा की 1/4 हिस्से में से खरीदशुदा रकबा 0.24 हैक्टर की घोषणा खातेदारी के साथ विभाजन व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया हैं परंतु वाद में वर्णित खसरा नंबरान की भूमियां प्रस्तुत जमाबंदी की प्रतियों के अनुसार ग्राम दुदनी बाहरी क्षेत्र में स्थित है तथा इन भूमियों में बेचान कर्ता पुरा पुत्र खुमा मेणा खातेदार अथवा सहखातेदार दर्ज नहीं रहा है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इसी बिन्दु को आधार बनाते हुये यह प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर वाद को खारिज किये जाने की दलील दी जा रही है। वादी पक्ष द्वारा यद्यपि प्रार्थना पत्र जवाब में अपनी सफाई देते हुये दलील दी गई है कि बेचान रजिस्ट्री करवाते समय पटवारी हल्का द्वारा गलत जमाबंदी की नकल जारी करने से रजिस्ट्री के समय टंकण भूल से उक्त त्रुटि हुई है। वादीया ने ग्राम रघुनाथपुरा स्थित भूमि ही खरीद की थी एवं उसी अनुसार मौके पर भी काबिज हुई है। जिससे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार वादी अधिवक्ता स्वयं प्रार्थना पत्र जवाब में यह स्वीकार करते है कि बेचान रजिस्ट्री टंकण के समय गलती से ग्राम दुदनी लिख दिया गया है। जिससे प्रकरण में यह ज्ञात है कि वादी द्वारा जब भूमि खरीद ही नहीं की गई तो प्रकरण में वाद हेतुक कैसे उत्पन्न हुआ। वादीनी को चाहिये था कि बेचान रजिस्ट्री में हुई टंकण भूल को शुद्धि दस्तावेज के माध्यम से दुरस्त करवाती, परंतु वादीनी द्वारा समय रहते ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार जिस बेचान रजिस्ट्री के आधार पर खातेदारी चाही है। वह बेचान रजिस्ट्री वाद में वर्णित भूमि की न होकर ग्राम दूदनी स्थित भूमियों की होने से वादीनी के उक्त वाद में वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने से प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर वाद को खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादीनी खारिज किया जाता है। इसी कदर डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.) *

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बांली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

शांति पत्नी पुनाराम जाति मीणा निवारी केशरपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. पुरा पुत्र खुमा के कामु वारिसान
   1/1. अमृतलाल पुत्र पुराराम
   1/2. प्रकाश कुमार पुत्र पुराराम
   1/3. मोहनलाल पुत्र पुराराम
   1/4. पोनीदेवी पत्नी पुराराम
2. नारायण लाल पुत्र कपूराजी
3. पकिया पुत्र गेनाजी
4. वचना पुत्र नगाजी, जातिगण मेणा निवासीगण रघुनाथपुरा तहसील बाली
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2023/191
वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का दुदनी में स्थित भूमि खसरा नंबर 1, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 9 कुल खसरा 09 कुल रकबा 2.27 हैक्टर के सबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10-09-25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner